फर्द अहकाम

भीमसिंह **बनाम** जड़ाव देवी व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 09/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षगण की बहस अन्तिम के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा के प्रस्तुत अभिकथनों, प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात, गवाहों के बयानात व दृष्टिगत तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जिस आदेश व डिक्री दिनांक 10.10.2013 की पालनार्थ वादी द्वारा कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई उपरान्त अपने निर्णय / आदेश दिनांक 24.08.18 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसके संदर्भ में उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल में स्वयं हाल वादी द्वारा ही निगरानी भी प्रस्तुत की गई है जो लंबित है जिस पर निर्णय नहीं हुआ है। जिससे अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का आदेश / निर्णय दिनांक 24.08.18 आज दिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश / निर्णय डिक्री दिनांक 10.10.23 जो कि हाल परिपेक्ष्य में निरस्त घोषित है की पालना में कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने का कोई उपयुक्त / औचित्यपूर्ण आधार नहीं है जबकि स्वयं वादी के स्वीकृत कथनानुसार व उसके [illegible] प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज [illegible] अनुसार आदेश दिनांक [illegible] वादी को कब्जा दिनांक [illegible] किया जा चुका था है। जिससे उक्त आदेश दिनांक 10.10.13 की कोई पालना शेष नहीं है, तथा जहाँ तक प्रश्न / आधार	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

भीमसिंह बनाम जड़ाव देवी व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 09/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28.03.25	पुनःकब्जा स्थापित किए जाने का है तो उक्त संदर्भ में उचित कार्यवाही उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के अंतिम निर्णय के अधीन विषय है। जो न्यायालय राजस्व मंडल के अंतिम निर्णय अनुसार की जानी अपेक्षित है। जिससे कब्जा पुनर्स्थापित किए जाने की अधिकारिता की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा अपने वाद पत्र के अन्तर्गत यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि (तथाकथित) पर पुनः कब्जा किए जाने के संदर्भ में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर (सिविल न्यायालय) में वाद दायर किया गया है। जो कि लम्बित होना व्यक्त किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में भी जबकि न्यायालय राजस्व के समक्ष प्रस्तुत वाद (हस्तगत वाद) के अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में ही स्वयं वादी की ओर से ही पूर्व में एक अन्य वाद प्रस्तुत किया जाकर दीगर (उच्चतर) न्यायालय में लम्बित होना अभिकथित किया गया है। ऐसी स्थिति में भी हस्तगत पश्चात्‌वर्ती वाद पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। वादपत्र के अन्तर्गत वादी के अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में उचित कार्यवाही अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल राज. में लम्बित अपील/निगरानी सं. 7180/2018 जो कि स्वयं हाल वादी की ओर से प्रस्तुत की गई है, के अंतिम निर्णय के अधीन विषय है। जिसके अनुसार ही वादी का कब्जा पुनर्स्थापना / प्रतिवादीगण की बेदखली अपेक्षित है तथा सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण के संदर्भ में आदेश / निर्णय भी उक्त संदर्भ में प्रभावकारी होगा। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादी पोषणीय प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से	P.[illegible]

sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

भीमसिंह बनाम जड़ावदेवी व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 09/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28.03.25	लिखा जाकर संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो) बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर

इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 09/2015 **निर्णय दिनांक :28.03.2025**

1. भीमसिंह उर्फ भींवसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत
   निवासी ए–7 विजय नगर के.वी.नं. 2 के पास खातीपुरा रोड, जयपुर।

वादी

बनाम

1. जड़ाव देवी उर्फ सीता देवी पत्नी मुरली जाति जाट
   निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मुरली पुत्र कानाराम जाति जाट
   निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजू पुत्र मुरली जाति जाट
   निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. झाबरमल पुत्र मुरली जाति जाट
   निवासी जाति माली गोबरिया की ढाणी, कस्बा आमेर जिला जयपुर।
5. दिनेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट
   निवासी बावडी की ढाणी, तन बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सीताराम पुत्र भूरामल जाति जाट
   निवासी डोडवाडियो की ढाणी, ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत कब्जा पुर्नस्थापना किये जाने अंतर्गत धारा 187 (बी) राज.काश्त.अधि. 1955

निर्णय

वादपत्र के अंतर्गत वादी के अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में उचित कार्यवाही अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल राज. में लंबित अपील/निगरानी सं 7180/2018 जो कि स्वयं हाल वादी की ओर से प्रस्तुत की गई है, के अंतिम निर्णय के अधीन विषय है। जिसके अनुसार ही वादी का कब्जा पुर्नस्थापना/प्रतिवादीगण की बेदखली अपेक्षित है तथा सिविल न्यायालय में लंबित प्रकरण के संदर्भ में आदेश/निर्णय भी उक्त संदर्भ में प्रभावकारी होगा। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादी पोषणीय प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.03.2025 को जारी की गई।

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी	02	
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)
वाद संख्या : 09/2015 **निर्णय दिनांक 28 .03.2025**

1. भीमसिंह उर्फ भींवसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत
   निवासी ए–7 विजय नगर के.वी.नं. 2 के पास खातीपुरा रोड, जयपुर।

वादी

बनाम

1. जड़ाव देवी उर्फ सीता देवी पत्नी मुरली जाति जाट
   निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मुरली पुत्र कानाराम जाति जाट
   निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजू पुत्र मुरली जाति जाट
   निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. झाबरमल पुत्र मुरली जाति जाट
   निवासी जाति माली गोबरिया की ढाणी, कस्बा आमेर जिला जयपुर।
5. दिनेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट
   निवासी बावडी की ढाणी, तन बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. सीताराम पुत्र भूरामल जाति जाट
   निवासी डोडवाडियो की ढाणी, ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत कब्जा पुर्नस्थापना किये जाने अंतर्गत धारा 187 (बी) राज.काश्त.अधि. 1955

निर्णय

वादी की ओर से वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 27/1, 28 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 6.02 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत कब्जा पुर्नस्थापित किये जाने के प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि का वादी व उसका भाई शिवपाल सिंह अभिलिखित खातेदार है। उल्लेखित भूमि आ.ख.नं. 28 की पूर्वी सीमा में प्रतिवादीगण सं 1 ता 4 तथा दक्षिणी पूर्वी सीमा में चावली देवी पत्नी भागीरथ जाट, झूमा देवी पत्नी गोपाल जाट द्वारा अतिक्रमण करने पर वादी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सीमाज्ञान व पत्थरगढी की कार्यवाही कर पूर्व में एक वाद बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2013 को डिक्री किया जाकर हाल प्रतिवादीगण 1 ता 4 व अन्य तत्कालिक प्रतिवादीगण चावली देवी पत्नी भागीरथ जाट, झूमा देवी पत्नी गोपाल जाट को उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि खसरा नं. 28 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा में कब्जे से बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त वाद के लंबित रहते अन्य तत्कालिक प्रतिवादीगण चावली देवी तथा झूमा देवी द्वारा अपनी खातेदारिता भूमि का विक्रय दीगर व्यक्तियो राजेश, कैलाश पुत्रान रामलाल जाट को करते हुए मिन वादी की खातेदारिता की भूमि में स्वयं के (चावली देवी, झूमा देवी) अतिक्रमण को उक्त क्रेताओ (राजेश, कैलाश पुत्रान रामलाल जाट) को सुपुर्द कर दिया। जिनको भी मिन वादी द्वारा उक्त तत्कालिक वाद में पक्षकार बनाया गया था। जिनके विरूद्ध भी उक्त आदेश/डिक्री दिनांक 10.10.2013 पारित की गई थी। जिसकी पालना दिनांक 06.08.2014 को तहसीलदार आमेर द्वारा की जाकर मौके पर कब्जा मिन वादी को संभला दिया गया था। जिसके पश्चात उक्त क्रेतागण राजेश व कैलाश पुत्रान रामलाल जाट द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का विक्रय दिनांक 30.10.2014 को (पंजीयन दिनांक 10.11.2014) हाल प्रतिवादी सं 5 दिनेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय को कर दिया गया। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में न्यायालय निर्णय/डिक्री 10.10.2013 की पालनार्थ उनको बेदखल किए गए भाग पर दिनांक 16.12.2014 को पुनः कब्जा कर लिया। जिसके बाबत प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर में लंबित है। इस पर वादी न्यायालय आदेश व डिक्री दिनांक 10.10.2013 अनुसार वादी को दिनांक 06.08.2014 को संभलाये गये कब्जे अधीन भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा पुनः किए गए कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को अपनी उक्त भूमि पर कब्जा पुनर्स्थापित कर कब्जा संभलाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए हैः–

1 प्रदर्श–1:– न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013। जिसके अनुसार हाल वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद सं 112/2012 स्वीकार/डिक्री किया जाकर वाद अधीन भूमि ख.नं. 28 की सीमा पूर्वी दक्षिणी भाग के पत्थरगढी दौरान गाडे गए पत्थरो तक से प्रतिवादीगण की बेदखली का आदेश पारित किया गया प्रदर्शित है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

2 प्रदर्श–2:– सत्य प्रतिलिपी फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 06.08.2014 बाबत ख.नं. 28 ग्राम रूण्डल। जिसके अनुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी आमेर के निर्णय/आदेश दिनांक 10.10.2013 की पालना में वादी भीमसिंह को ख.नं. 28 बाबत विधिवत कब्जा मौके पर संभलाया गया।

3 प्रदर्श–3:– पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2014। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि ख.नं. 28/1, 28/1843, 29/1, 67/2062, 67/2724, 127/2050 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 7.68 है. के 250/768 भाग का विक्रय विक्रेतागण कैलाश, राजेश पुत्रान रामलाल द्वारा क्रेता दिनेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय जाट को किया गया प्रदर्शित है।

4 प्रदर्श–4:– सत्य प्रतिलिपी आदेशिका दिनांक 16.01.2015। बाबत प्रकरण सं 113/2015 बउनवानी सरकार बनाम दिनेश कुमार मय एफआईआर सं 362 दिनांक 28.11.2014, अंतिम रिपोर्ट 23.12.2014। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि ख.नं. 28 के संदर्भ में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाना प्रदर्शित होता है।

5 प्रदर्श–5:– सत्य प्रतिलिपी निगरानी सं 7180/2018 न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर बैंच जयपुर (मय आदेशिकाए दिनांक 09.10.2018 से 04.10.2022)। जिसके अनुसार प्रार्थी/वादी भीमसिंह द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 24.08.2018 (बाबत अपील सं 1020/2016) के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.10.2016 को स्थाई (कंफर्म) किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। निगरानी अधीन आदेशानुसार अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा न्यायालय हाजा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 को अपास्त किया जाकर परिणाम स्वरूप निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 को निरस्त किया गया है तथा हाल प्रतिवादीगण 1 ता 4 की विधिवत सुनवाई अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने बाबत निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल में उक्त निगरानी सं 7180/2018 लंबित है।

6 सत्य प्रतिलिपी:– जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता सं 531 (नया) वाके ग्राम रूण्डल। जिसके अनुसार प्रदर्शित भूमि ख.नं. 27/1, 28 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 6.02 है. वादी भीमसिंह के नाम 1/2 हिस्से के रूप में तथा वादी के अन्य भाई श्योपाल सिंह पुत्र जोरसिंह के नाम 1/2 हिस्से के रूप में दर्ज है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को उपस्थिति व जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु विधिवत नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं 2, 5, 6 की ओर से बावजूद प्रेषित रजि. नोटिस 16.03.2016 के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादीगण 2, 5, 6 के विरूद्ध दिनांक 29.04.2016 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए। शेष प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 की ओर से दिनांक 09.01.2017 को जवाब वाद मय काउन्टर क्लेम के प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण सं. 1, 3, 4 की ओर से जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कभी वादीगण की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है बल्कि हाल बंदोबस्त (सेटलमेंट) के पूर्व से ही प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज खातेदार हाल कब्जानुसार ही काबिज होकर भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा प्रतिवादी सं 5 भी क्रय दिनांक से ही अपनी क्रयशुदा भूमि पर निरन्तर काबिज है। हाल भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा हाल नक्शा गत नक्शे से भिन्न जारी कर दिया गया है जिसके अनुचित लाभ के उद्देश्य से भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार वादी द्वारा यह कार्यवाही की गई है जबकि भूमि के अन्य 1/2 हिस्से के खातेदार शिवपाल पुत्र जोरसिंह द्वारा कोई कार्यवाही/आपत्ति स्वरूप वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रकरणाधीन उल्लेखित डिक्री दिनांक 10.10.2013 एक पक्षीय पारित की गई है। जिसके विरूद्ध [illegible] द्वारा अपील दिनांक 13.12.2016 को सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के [illegible] प्रस्तुत [illegible] गई है जो न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2018 को स्वीकार की जाकर वाद अधीन उल्लेखित निर्णय [illegible] को दिनांक 10.10.2013 को निरस्त कर दिया गया है। जिसकी वादी को भली भांति जानकारी है [illegible] वादी द्वारा उक्त आदेश (दिनांक 24.08.2018 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर) के विरूद्ध निगरानी राजस्व मंडल राज. जयपुर बैंच के समक्ष प्रस्तुत भी की गई है जो लंबित है तथा उक्त निगरानी पर अंतिम [illegible] नहीं होने के कारण हस्तगत विचाराधीन वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के अंतर्गत यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 06.08.2014 को तहसीलदार आमेर द्वारा मौके पर जाकर विवादित भूमि का कब्जा वादी को नहीं संभलाया गया है अपितु कागजी कार्यवाही मात्र की गई है तथा प्रतिवादी सं. 5 (दिनेश पुत्र हनुमान) द्वारा दिनांक 30.10.2014 (10.11.2014) को भूमि क्रय कर विक्रय पत्र के उल्लेख अनुसार कब्जा प्राप्त किया गया है तो पुनः दिनांक 16.12.2014 को कब्जा करने का कथन आधारहीन है। जिससे प्रकरण धारा 187 बी के प्रावधान के अंतर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उल्लेखित तथ्यो के दृष्टिगत वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुख्यालय–जयपुर

जावे। जवाब वादपत्र के अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम बाबत हाल नक्शा का गत नक्शा दुरूस्ती की जाकर प्रतिवाद डिक्री किए जाने के अनुतोष का प्रस्तुत किया गया जो कि उभयपक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त खारिज किया गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वाद पत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए है:–

1 प्रदर्श ए–1 :– प्रमाणित प्रतिलिपी प्रा.पत्र धारा 136 (एल आर एक्ट) सं 24/2021 मय न्यायालय आदेशिका। जिसके अनुसार उक्त प्रा. पत्र धारा 136 जो उपखंड अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.03.2021 को प्रस्तुत किया जाकर नक्शा दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है।

2 प्रदर्श ए–2 :– प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय दिनांक 24.08.2018 बाबत अपील सं 1020/2016 बउनवानी जडाव देवी व अन्य बनाम भीमसिंह। जो कि अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष हाल प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.10.2016 (बाबत प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 13) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.08.2018 अनुसार अपीलीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय/आदेश दिनांक 27.10.2016 बाबत प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 13 तथा उक्त आदेश अधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.2013 को निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्ध हाल वादी की ओर से निगरानी सं 7180/2018 न्यायालय राजस्व मंडल राज. जयपुर बैंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो विचाराधीन है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2013 की पालना में प्राप्त कब्जे से वादी को प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल किये जाने पर वादी कब्जा पुर्नस्थापित करवाने का अधिकारी है।

–वादी

2. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथपत्र वादी भीमसिंह का प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी सं 1 जडाव देवी (सीता देवी), प्रतिवादी सं. 4 झाबरमल पुत्र मुरली व प्रतिवादी सं. 5 दिनेश पुत्र हनुमान के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए।

उभयपक्षकारान की साक्ष्य जिरह प्रक्रिया विधिवत पूर्ण की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की जाकर उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस अंतिम सुनी गई।

उभयपक्षकारान की बहस अंतिम के तथ्यो, प्रस्तुत अभिकथनों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात अनुसार प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है:–

तनकी सं 1:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादी पर थी। जिसके अनुसार वादी द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2013 की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा वादी को दिनांक 06.08.2014 को विधिवत दिलाए गए कब्जे के अधीन भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा पुनः कब्जा कर वादी को बेदखल किये जाने पर वादी आदेश/डिक्री दिनांक 10.10.2013 अनुसार कब्जा पुर्नस्थापित करवाने का अधिकारी है। उक्त परिपेक्ष्य में स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जिस आदेश/डिक्री दिनांक 10.10.2013 की पालनार्थ वादी द्वारा कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई उपरान्त अपने निर्णय/आदेश दिनांक 24.08.2018 द्वारा निरस्त किया गया है। जिसके संदर्भ में उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल में स्वयं हाल वादी द्वारा यह निगरानी भी प्रस्तुत की गई है, जो लंबित/विचाराधीन है, जिसपर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जिससे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का आदेश/निर्णय दिनांक 24.08.2018 आज दिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय डिक्री दिनांक 10.10.2013 जो कि हाल परिपेक्ष्य में निरस्त घोषित है की पालना में कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने का कोई उपयुक्त/औचित्य पूर्ण आधार नहीं है जबकि स्वयं वादी के स्वीकृत कथनानुसार व उक्त संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श 2 अनुसार आदेश दिनांक 10.10.2013 की पालनार्थ वादी को कब्जा दिनांक 06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

08.2014 को प्रदत्त किया जा चुका था/है। जिससे उक्त आदेश दिनांक 10.10.2013 की कोई पालना शेष नहीं है तथा जहाँ तक प्रश्न/आधार पुर्नकब्जा स्थापित किए जाने का है तो उक्त संदर्भ में उचित कार्यवाही उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के अंतिम निर्णय के अधीन विषय है। जो न्यायालय राजस्व मंडल के अंतिम निर्णय अनुसार की जानी अपेक्षित है। जिससे कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने की अधिकारिता की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा अपने वादपत्र के अंतर्गत यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि (तथाकथित) पर पुनः कब्जा किए जाने के संदर्भ में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर (सिविल न्यायालय) में वाद दायर किया गया है। जो कि लंबित होना व्यक्त किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में भी जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत वाद के अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में ही स्वयं वादी की ओर से ही पूर्व में एक अन्य वाद प्रस्तुत किया जाकर दीगर (उच्चतर) न्यायालय में लंबित होना अभिव्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में भी हस्तगत पश्चातवर्ती वाद पोषणीय प्रतीत सिद्ध नहीं होता है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

आदेश

उभयपक्षकारान के प्रस्तुत अभिकथनों, प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात, गवाहों के बयानात के दृष्टिगत तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जिस आदेश व डिक्री दिनांक 10.10.2013 की पालनार्थ वादी द्वारा कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई उपरान्त अपने निर्णय/आदेश दिनांक 24.08.2018 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिसके संदर्भ में उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल में स्वयं हाल वादी द्वारा ही निगरानी भी प्रस्तुत की गई है, जो लंबित/विचाराधीन है, जिसपर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जिससे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का आदेश/निर्णय दिनांक 24.08.2018 आज दिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय डिक्री दिनांक 10.10.2013 जो कि हाल परिपेक्ष्य में निरस्त घोषित है की पालना में कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने का कोई उपयुक्त/औचित्य पूर्ण आधार नहीं है जबकि स्वयं वादी के स्वीकृत कथनानुसार व उक्त संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श 2 अनुसार आदेश दिनांक 10.10.2013 की पालनार्थ वादी को कब्जा दिनांक 06.08.2014 को प्रदत्त किया जा चुका था/है। जिससे उक्त आदेश दिनांक 10.10.2013 की कोई पालना शेष नहीं है तथा जहाँ तक प्रश्न/आधार पुर्नकब्जा स्थापित किए जाने का है तो उक्त संदर्भ में उचित कार्यवाही उच्चतर न्यायालय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के अंतिम निर्णय के अधीन विषय है। जो न्यायालय राजस्व मंडल के अंतिम निर्णय अनुसार की जानी अपेक्षित है। जिससे कब्जा पुर्नस्थापित किए जाने की अधिकारिता की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा अपने वादपत्र के अंतर्गत यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि (तथाकथित) पर पुनः कब्जा किए जाने के संदर्भ में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर (सिविल न्यायालय) में वाद दायर किया गया है। जो कि लंबित होना व्यक्त किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में भी जबकि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत वाद के अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में ही स्वयं वादी की ओर से ही पूर्व में एक अन्य वाद प्रस्तुत किया जाकर दीगर (उच्चतर) न्यायालय में लंबित होना अभिव्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में भी हस्तगत पश्चातवर्ती वाद पोषणीय प्रतीत सिद्ध नहीं होता है। वादपत्र के अंतर्गत वादी के अपेक्षित अनुतोष के संदर्भ में उचित कार्यवाही अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल राज. में लंबित अपील/निगरानी सं 7180/2018 जो कि स्वयं हाल वादी की ओर से प्रस्तुत की गई है, के अंतिम निर्णय के अधीन विषय है। जिसके अनुसार ही वादी का कब्जा पुर्नस्थापना/प्रतिवादीगण की बेदखली अपेक्षित है तथा सिविल न्यायालय में लंबित प्रकरण के संदर्भ में आदेश/निर्णय भी उक्त संदर्भ में प्रभावकारी [illegible] वादी पोषणीय प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिना[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.20 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर